अपील सूचना अधिकार संख्या 51/2018 (RCMS 2018/00130) श्री हरपाल सिंह सुधन पुत्र श्री महताब सिंह जाति ब्राह्मण सिख, निवासी चैम्बर नम्बर 5ए, कचहरी परिसर, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर–335051 मो.न. 96678–61073 बनाम उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

07.08.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी हरपाल सिंह सुधन स्वयं उपस्थित नही। अप्रार्थी उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, शामिल पत्रावली है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 07.06.2018 को प्रस्तुत करके सात बिन्दुओ की सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा ने उसे सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसका आवेदन स्वीकार किये जाने के आदेश पारित कर 250/– प्रतिदिन की शास्ति अधिरोपित किए जाने के आदेश पारित किए जावे।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री हरपाल सिंह सुधन ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 07.06.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

> प्रार्थी की माता सुरेन्द्र कौर पुत्री दलीप सिंह के रकबा ग्राम 3 एलसी(ए) के मुरब्बा नम्बर 5 (तत्कालीन तहसील अनूपगढ) जो कि प्रार्थी की माता को बतौर कश्मीरी शरणार्थी आवंटन था, का प्रार्थी की माता की मृत्यु दर्शाते हुए इसका विरास्तन इंतकाल कलक्टर(Rev.), श्रीगंगानगर श्री I.S. Agre द्वारा प्रार्थी की नानी ज्ञान कौर पत्नी दलीप सिंह के पक्ष में करने के आदेश दिए गए थे तथा जिस निर्णय की प्रति No.F36(305)CG/Reh/71/2409 दिनांक 01.04.1971 को प्रार्थी की नानी को भिजवाई गई। इस पत्रावली में निम्न प्रमाणित प्रतियों की आवश्यकता है:

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

1. निर्णय कलक्टर (Rev.)
2. आवेदन ज्ञान कौर वास्ते विरास्तन इंतकाल
3. हल्फनामा दलीप सिंह
4. हल्फनामा रविन्द्र कौर
5. मृत्यु तस्दी प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत, बुगिया
6. ऑर्डर शीट शुरू से अंत तक एवं
7. अन्य समस्त पत्रावली।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक सूकाअ/2018/3964 दिनांक 30.09.2018 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा चाही गई सूचना निम्न प्रकार से प्रेषित है :

क्र.सं.	वांछित सूचना	प्रतिउत्तर
1	प्रार्थी की माता सुरेन्द्र कौर पुत्री दलीप सिंह के रकबा ग्राम 3 एलसी(ए) के मुरब्बा नम्बर 5 (तत्कालीन तहसील अनूपगढ) जो कि प्रार्थी की माता को बतौर कश्मीरी शरणार्थी आवंटन था, का प्रार्थी की माता की मृत्यु दर्शाते हुए इसका विरास्तन इंतकाल कलक्टर (Rev.), श्रीगंगानगर श्री I.S. Agre द्वारा प्रार्थी की नानी ज्ञान कौर पत्नी दलीप सिंह के पक्ष में करने के आदेश दिए गए थे तथा जिस निर्णय की प्रति No.F36(305)CG/Reh/71/2409 दिनांक 01.04.1971 को प्रार्थी की नानी को भिजवाई गई। इस पत्रावली में नम्न प्रमाणित प्रतियों की आवश्यकता है: 1. निर्णय कलक्टर (Rev.) 2. आवेदन ज्ञान कौर वास्ते विरास्तन इंतकाल 3. हल्फनामा दलीप सिंह 4. हल्फनामा रविन्द्र कौर 5. मृत्यु तस्दी प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत, बुगिया 6. ऑर्डर शीट शुरू से अंत तक एवं 7. अन्य समस्त पत्रावली।	आप द्वारा वांछित सूचना के सम्बन्ध में रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो रहा है। रिकॉर्ड काफी पुराना है, तलाश किया जा रहा है। उपलब्ध होने पर सूचना दी जा सकेगी।

सहायक लोक सूचना अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक सूकाअ/2018/4187 दिनांक 11.01.2019 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है :

> उपरोत विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त अपील संख्या 51/2018 के तहत अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.06.2018 द्वारा चाही गई सूचना के संदर्भ में प्रार्थी को कार्यालय के पत्रांक 3964 दिनांक 30.06.2018 द्वारा सूचित किया गया कि "आप द्वारा वांछित सूचना में रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो रहा है, रिकॉर्ड काफी पुराना है, तलाश किया जा रहा है, उपलब्ध होने पर ही सूचना दी जा सकेगी।" इस सम्बन्ध में रिकॉर्ड तलाश किया गया लेकिन रिकॉर्ड लगभग 47 वर्ष पुराना होने के कारण उपलब्ध नहीं हुआ, चूंकि प्रार्थी द्वारा जिस पत्र क्रमांक/दिनांक का हवाला दिया गया है वह किसी पत्राचार की पत्रावली से जारी होना प्रतीत होता है। इसलिए प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है।
>
> अतः श्रीमानजी को जवाब अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित रिकॉर्ड काफी पुराना है और काफी तलाश करने पर भी उपलब्ध नहीं हुआ है, इसलिए वांछित सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है। कृपया अपील खारिज करने का श्रम करें।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। चूंकि अपीलार्थी कीसूचनाओं से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं है, इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। इसलिए अपीलार्थी की अपील उक्तानुसार निस्तारण योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर